संख्या-01/2025/I/900781/2025/85-1002/1/2022

प्रेषक,

अनीता वर्मा सिंह,
विशेष सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
स्टेट लेवल एजेन्सी,
भूमित्र भवन, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ।

परती भूमि विकास अनुभाग लखनऊ : दिनांक-07 मार्च, 2025

विषय:- केन्द्रपोषित वाटरशेड डवलपमेन्ट कम्पोनेन्ट प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0(WDC-PMKSY) (के.60/रा.40) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा अनुदान संख्या-12 के अन्तर्गत अवमुक्त केन्द्रांश के सापेक्ष राज्यांश की धनराशि सम्मिलित करते हुए वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी, परती भूमि विकास विभाग के पत्र संख्या-488/एस0एल0एन0ए0/बजट/2024-25, दि०-17-02-2025 के द्वारा प्रश्नगत योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष-2024-25 में सामान्य अनुदान में रू0 21.585 करोड एवं अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना में रू0 5.735 करोड कुल रू0 27.320 करोड के अवमुक्त केन्द्रांश के सापेक्ष अनुदान संख्या-12 में रू0-35.975 करोड (के.-21.585 एवं रा.-14.39 करोड) अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया है। इसी प्रकार उक्त अवमुक्त केन्द्रांश के सापेक्ष अनुदान संख्या 83 में चालू वित्तीय वर्ष-2024-25 में रू0 9.555 करोड लाख (के.-5.735 एवं रा.-3.82 करोड) की वित्तीय स्वीकृति जारी किये जाने का अनुरोध किया गया है।

इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत वाटरशेड डवलपमेन्ट कम्पोनेन्ट प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 (WDC- PMKSY) के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या-12 के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रु0-12850.00 लाख के सापेक्ष-अवशेष धनराशि के समक्ष केन्द्रांश रू0 21.585 करोड एवं राज्यांश रु0-14.39 करोड कुल धनराशि रु0-35.975 करोड (रुपये पैंतीस करोड सत्तान्बे लाख पचास हजार मात्र) निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

करते हैं तथा उक्त अवमुक्त धनराशि को एस. एन.ए. के खाते में स्थानान्तरित किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

1. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय राज्य सरकार तथा भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्ययोजना के अनुसार योजना की गाइडलाइन्स का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

2. योजनान्तर्गत केन्द्रांश अवमुक्त किये जाने विषयक भारत सरकार के पत्र दिनांक 07.02.2025 में दिये गये दिशा-निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन किये जाने का दायित्व राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी का होगा।

3. प्रस्ताव में आंकडों की शुद्धता का दायित्व राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी का होगा, आंकडों की शुध्दता एवं धनराशि का अनुमन्यता की पुष्टि वित्त अधिकारी/आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

4. प्रस्तावित वित्तीय स्वीकृति उपलब्ध बजट प्राविधान की सीमा के अन्तर्गत रहेगी, यह राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी का उत्तरदायित्व होगा।

5. स्वीकृत की जा रही धनराशि के विरुद्ध निर्धारित लक्ष्यों के प्राप्त होने व उसके परीक्षण / सत्यापन सुनिश्चित किये जाने का दायित्व राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी का होगा।

6. स्वीकृत की जा रही धनराशि के नियम संगत व्यय व स्वीकृत धनराशियों के निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने का दायित्व सक्षम अधिकारी का होगा।

7. वित्तीय स्वीकृतियों जारी करने अथवा धनराशि को विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने से पूर्व राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी के स्तर पर की जाने वाली समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति अनिवार्यतः सुनिश्चित कर ली जाये। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का विभागाध्यक्ष / नियंत्रक अधिकारी के निर्वतन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नही देता है।

8. जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

9. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण योजना की गाइडलाइन एवं तदविषयक भारत सरकार के दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

10. व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के सबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

11. स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर यदि किसी ऐसे खाते में रखा जाता है, जिसमें व्याज अर्जित होता है, तो अर्जित व्याज को नियमानुसार समायोजन/निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा कराने का दायित्य सक्षम अधिकारी का होगा।

12. धनराशि का कोषागार से आहरण एकमुश्त न करते हुए आवश्यकतानुसार चरणों में किया जायेगा।

13. स्वीकृत की जा रही धनराशि से यथावश्यकता सामग्री, उपकरण आदि के क्रय हेतु सामग्री क्रय संबंधी संगत शासनादेशों में निर्धारित क्रय प्रक्रिया/व्यवस्थाओं का अनुसरण करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

14. आहरण एवं वितरण अधिकारी/सक्षम अधिकारी द्वारा यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा अन्य किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है और न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है, अर्थात किसी प्रकार की द्विरावृत्ति न हो।

15. स्वीकृत धनराशि का आहरण राजकोष से तात्कालिक आवश् यकता होने पर ही किया जायेगा और धनराशि आहरित करके अनावश्यक रूप से बैंक खातों में रक्षित नहीं की जायेगी।

16. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप सं0-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04.03.2024 एवं इस संबंध में समय-समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय (*1*) रुपये 21,58,50,000 (रुपये इक्कीस करोड़ अट्ठावन लाख पचास हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20242025 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 012 **लेखा शीर्षक** 2402001020101 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-2.0 के अन्तर्गत वाटरशेड डेवलपमेन्ट कम्पोनेन्ट (के.60/रा.40-के) **मानक मद** 27 सब्सिडी (*2*) रुपये 14,39,00,000 (रुपये चौदह करोड़ उनतालीस लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20242025 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 012 **लेखा शीर्षक** 2402001028901 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 के अन्तर्गत वाटरशेड डेवलपमेन्ट कम्पोनेन्ट **मानक मद** 27 सब्सिडी के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-E-1-431-X-2024-25, दिनांक-07 मार्च, 2025 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीया,
अनीता वर्मा सिंह
विशेष सचिव,
उ०प्र० शासन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-01/2025/I/900781/2025/85-1002/1/2022, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (सिविल आडिट प्रथम/द्वितीय) उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. उप सलाहाकार(वानिकी), भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, जलसंसाधन विभाग के पत्र दिनांक-07-02-2025 के सन्दर्भ में।
4. निदेशक, कोषागार/मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त एवं लेखाधिकारी, एस०एल०एन०ए०।
6- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-1 /वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
7. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,
उदयवीर सिंह राठौर
उप सचिव,
उ०प्र० शासन।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।